न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 39/2021

पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल, मु0पो0 कोलसिया, वाया नवलगढ, जिला झुंझुनूं पिनकोड 333042

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 22.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 39/2021 पर दिनांक 01.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /871–872 दिनांक 02.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक राजस्व/2021/383 दिनांक 19.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी कोलसिया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित प्रारूप मे दिनांक 15.01.2021 को इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ मे बिन्दुवार कार्यालय मे उपलब्ध सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/190 दिनांक 05.02.2021 द्वारा पंजीकृत डाक से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/383 दिनांक 19.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी कोलसिया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित प्रारूप मे दिनांक 15.01.2021 को उनके कार्यालय द्वारा बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ मे बिन्दुवार कार्यालय मे उपलब्ध सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/190 दिनांक 05.02.2021 द्वारा पंजीकृत डाक से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:00 IST
Reason: SelfAttested